प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स. 297/22 दिनांक 28/7/2022

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 519 समय 3:00 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयः बुधवार दिनांक 27.07.2022 समय 12.25 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 25.07.2022

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 450 किलो मीटर
(ब) पता : कलेक्ट्रेट परिसर कोष कार्यालय प्रतापगढ़।
........................बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या..................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री ऋतुराज सिंह
(ब) पिता – श्री मनोहर सिंह
(स) जन्म तिथि/वर्ष – 28 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .... –...................... जारी होने की तिथि................................
जारी होने की जगह........ –...
(र) व्यवसाय – नौकरी
(छ) पता – गांव रोहनियां तहसील आनंदपुरी जिला बांसवाडा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री भगवान सहाय मीना पुत्र श्री लालाराम मीना उम्र 32 वर्ष जाति मीना निवासी मकान नम्बर 97 मंगल विहार जामडोली पुलिस थाना कानोता जयपुर हाल अतिरिक्त कोषाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा) कोष कार्यालय प्रतापगढ़ कार्यवाहक सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जिला प्रतापगढ़।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 10,000/– रूपये

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (अगर अपेक्षित हो तो अतिक्ति पन्ना लगावे)–

कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा

दिनांक 25.07.2022 समय 01.45 पीएम

इस समय परिवादी श्री ऋतुराजसिंह हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं भविष्य निधी विभाग प्रतापगढ़ ने श्री राजेश कुमार कानि. से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर बताया कि श्री भगवान सहाय मीना, कार्यवाहक सहायक निदेशक द्वारा मेरे विभागीय नोटिस जारी कर उसका निस्तारण कराने के लिये रिश्वत की मांग कर रहे है। श्री भगवान सहाय को रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना और कार्यवाही ब्यूरो इकाई बांसवाडा से करवाना चाहता हूं। श्री राजेश कुमार कानि ने भी परिवादी श्री ऋतुराज सिंह से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की वार्ता कराई गई तो परिवादी को मुनासिब दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेश कानि को निर्देशित किया गया कि प्रतापगढ़ पहूंचकर परिवादी श्री ऋतुराजसिंह से सम्पर्क कर ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया समझातें हुए नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत की गई। समय 02.00 पीएम पर मालखाने से डिजीटल टेप रिकोर्डर निकलवाकर श्री राजेश कुमार कानि. को सुपूर्द करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से जिला प्रतापगढ़ के लिये रवाना किया गया। समय 04.54 पीएम पर श्री राजेश कुमार कानि. ने जरिये दूरभाष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि आपके निर्देशानुसार प्रतापगढ़ पहूंचकर परिवादी श्री ऋतुराज से सम्पर्क कर नियमानुसार प्रार्थना पत्र मय आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर परिवादी श्री ऋतुराज को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु भेजा गया तो आरोपी श्री भगवान सहाय मीना द्वारा परिवादी से पूर्व में 45,00 रुपये रिश्वत के ग्रहण करना एवं 10,000 रुपये और रिश्वत की मांग की गई है जिसे परिवादी द्वारा डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया गया है और रिश्वत राशि 10,000 रुपये लेकर दिनांक 27.07.2022 को बुलाया गया है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री ऋतुराज से भी वार्तालाप की गई तो श्री राजेश कुमार कानि द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। परिवादी को कानि के हमराह ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि कार्यालय समय होने से मैं अभी नही आ सकता हूं दिनांक 26.07.2022 को सांयकाल करीब 06.30 पीएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को दिनांक 26.07.2022 को समय 06.30 पीएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आने हेतु मुनासिब दी गई तथा श्री राजेश कुमार कानि. को परिवादी से डिजीटल टेप रिकोर्डर प्राप्त कर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। समय 08.15 पीएम पर श्री राजेश कुमार कानि. मय डिजीटल टेप रिकोर्डर के ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आया और टेप रिकोर्डर एवं परिवादी श्री ऋतुराज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किये गये तथा कानि. ने जरिये दूरभाष बताये गये तथ्यों की ताईद करते हुए कहा कि ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा समय करीब 04.00 पीएम पर रोड़वेज बस स्टेण्ड प्रतापगढ़ पहूंचा जहां पर परिवादी ऋतुराज उपस्थित मिला। परिवादी से प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज प्राप्त कर परिवादी को ब्यूरो की मांग सत्यापन कार्यवाही की प्रकिया भलीभांती समझाते हुए ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर उसके संचालन की विधी समझाते हुए समय करीब 04.15 पीएम पर परिवादी के हमराह कार्यालय जिला कलेक्टर परिसर प्रतापगढ़ पहूंच कर परिवादी को आरोपी श्री भगवान सहाय मीना के कार्यालय कक्ष कोष कार्यालय प्रतापगढ़ के लिये रवाना कर मैं कार्यालय के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मूकिम हुआ। समय करीब 04.50 पीएम पर परिवादी कोष कार्यालय से बाहर निकलकर डिजीटल टेप रिकोर्डर मुझे प्रस्तुत करने पर मैने बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री ऋतुराज को कल दिनांक 26.07.2022 को सांयकाल 06.30 पीएम पर रिश्वत राशि 10,000 रुपये लेकर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आने हेतु पाबंद कर दिया गया। परिवादी श्री ऋतुराजसिंह द्वारा निम्नानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया:—

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा।

विषयः— श्री भगवान सहाय मीना, उप कोषाधिकारी कोष कार्यालय प्रतापगढ़ हाल कार्यवाहक सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जिला प्रतापगढ़ द्वारा रिश्वत मांगने बाबत्।

महोदय्

निवेदन है कि मैं ऋतुराजसिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह राणावत निवासी गांव रोहनियां तहसील आनंदपुरी जिला बांसवाडा का रहने वाला होकर कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं भविष्य निधी विभाग प्रतापगढ़ में पदस्थापित हूं। श्री भगवान सहाय मीना उप कोषाधिकारी कोष कार्यालय प्रतापगढ़ के पास सहायक निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार है। दिनांक 23.05.2022 को मानवीय भुल से कार्यालय की उपस्थिति पंजिका में दिनांक 24.5.2022 व 25.05.2022 को स्वंय के कॉलम के स्थान पर कार्यालय के श्री रुपा डिडोंर पर्यवेक्षक के कॉलम में आकस्मिक अवकाश का इन्द्राज कर दिया था। जिस संबध में श्री भगवान सहाय द्वारा कार्यालय के पत्र कमांक 429 दिनांक 12.07.2022 द्वारा मुझसे स्पष्टीकरण चाहा गया। उक्त नोटिस के संदर्भ में मैने अपना स्पष्टीकरण तैयार कर श्री भगवान सहाय से मिला तो उनके द्वारा स्पष्टीकरण नही लेकर टालम–टोल करते हुए उन्होंने कहा कि तुझे नोटिस फाईल कराने हेतु खर्चापानी लगेगा और कहा कि मेरे फोर व्हीलर(कार) का इंश्योरेन्स कराने का खर्चा तुझे देना पडेगा और गाडी के टायर भी डलवाने पड़ेगें। मैने काफी हाथाजोड़ी करी तो 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जिस पर मैने दिनांक 19.07.2022 को 21,00 रुपये मेरे सैलेरी बैंक खाता संख्या 61214953082 से गुगल–पे से ऑनलाईन श्री भगवान सहाय के मोबाईल नम्बर 9461554639 पर किये गये तथा 2400 रुपये नगद दिये गये और बकाया राशि बार–बार श्री भगवान सहाय द्वारा मांगी जा रही है और डराया धमकाया जा रहा है कि अगर बकाया राशि नही देगा तो और नोटिस निकालकर विभागीय कार्यवाही करुंगा और तेरी सैलेरी भी रोक लूंगा। श्री भगवान सहाय मीना कार्यवाहक सहायक निदेशक को रिश्वत राशि नही देकर उनको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। नोटिस कमांक 429 दिनांक 12.07.22 एवं दिनांक 19.07.22 को गुगल–पे ऑनलाईन भुगतान की मोबाईल से लिये गये स्कीनशॉट की छायाप्रतियां प्रस्तुत कर रहा हूं। दिनांक 25.07.2022

सही/–
(ऋतुराजसिंह)
मो0न0 – 9602605426

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकोर्डर को सुना गया तो आरोपी श्री भगवान सहाय मीना द्वारा परिवादी से पूर्व में 45,00 रुपये रिश्वत के ग्रहण करना एवं 10,000 रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। डिजीटल टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 26.07.2022 समय 12.45 पीएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बांसवाडा को जरिये दूरभाष दो स्वतंत्र गवाह आज दिनांक 26.07.2022 को समय 05.00 पीएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 05.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री मणीलाल पटेल हाल व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर बांसवाडा व श्री रवि सोगरा हाल तृतीय श्रेणी अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंधारवाडी बांसवाडा जो ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये, जिन्हें सुरक्षित एक कमरे में बैठाया गया। समय 06.25 पीएम पर परिवादी श्री ऋतुराज सिंह ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आया। परिवादी श्री ऋतुराज सिंह ने दिनांक 25.07.2022 को श्री राजेश कुमार कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज तथा रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के तथ्यों की ताईद की जाकर रिश्वत राशि 10,000 रुपये की व्यवस्था कर हमराह लेकर आने को कहा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया को भलीभांती समझाया गया तो परिवादी ने बताया कि मुझे दिनांक 27.07.2022 को समय 09.30 एएम पर कार्यालय समय में प्रतापगढ़ पहूंचना पडेगा। जिस पर नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आरम्भ की गई। समय 06.45 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री मणीलाल पटेल एवं श्री रवि सोगरा को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर दोनो स्वतंत्र गवाहों अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री ऋतुराज सिंह व दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी श्री ऋतुराज सिंह ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 25.07.2022 को आरोपी भगवान सहाय मीना व परिवादी श्री ऋतुराजसिंह के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है। डिजिटल टेप रिकोर्डर को मालखाने

से निकालकर कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री लक्ष्मणसिंह कानिष्ठ सहायक से शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर में रखते हुए पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 08.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री भगवान सहाय मीना को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी श्री ऋतुराज सिंह से मांगने पर उसने अपने पास से उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष 500--500 रुपये के 20 नोट कुल 10,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। मालखाने से फिनोफथलीन की शीशी श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 के निकलवाई जाकर फिनॉफ्थेलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और लगवाया गया। दर्ज रहे की परिवादी श्री ऋतुराज सिंह ने दिनांक 27.07.2022 को प्रातः 09.30 एएम पर उसके कार्यालय प्रतापगढ़ में उपस्थित रहना आवश्यक बताया है। ऐसी स्थिति में फिनॉफ्थेलीन पाउडर लगे हुए उक्त रिश्वत राशि 10,000 रुपये को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. से एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात् श्री राजेश कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 एवं श्री राजेश कानि0 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कानि0 से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स को भी सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। परिवादी श्री ऋतुराज सिंह ने बताया कि उसे दिनांक 27.07.2022 को अपने कार्यालय प्रतापगढ़ पर उपस्थित रहना आवश्यक होना बताने पर ऐसी स्थिति में दिनांक 27.07.2022 को प्रतापगढ़ पहूंचकर परिवादी को उसके कार्यालय कक्ष से बाहर बुलाकर रिश्वत राशि मय टेप रिकोर्डर सुपूर्द किया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को दिनांक 27.07.2022 को समय 11.00 एएम पर उसके कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहने तथा तलब करने पर कार्यालय कक्ष से बाहर आने की मुनासिब हिदायत कर समय 08.45 पीएम पर रुखसत किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मणीलाल पटेल व श्री रवि सोगरा को दिनांक 27.07.2022 को समय 08.30 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आने तथा कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया।

दिनांक 27.07.2022 समय 08.30 एएम पर पूर्व पाबंद शुदार स्वतंत्र गवाहान श्री मणीलाल पटेल व श्री रवि सोगरा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आये। समय 09.10 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता पंकज कुमार कानि, राजेश कुमार कानि, महेशचन्द्र कानि, लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ लिपिक व जितेन्द्रसिंह कानि चालक जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक मय ट्रेप बॉक्स मय रिश्वती राशि 10,000 रुपये, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल टेप रिकोर्डर व आवश्यक संसाधन के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से प्रतापगढ़ के लिये रवाना हुए। श्री गणेश प्रसाद हैड कानि को कार्यालय में छोड़ा गया। समय 11.05 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों वाहन से जिला कलक्ट्रेट परिसर जिला प्रतापगढ़ पहूंच कर वाहन को कलेक्ट्रेट परिसर के खुले चौक में वाहन पार्किग स्थल पर वाहन को खड़ा किया जाकर श्री राजेश कुमार कानि. द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी श्री ऋतुराज सिंह को तलब करने पर परिवादी पार्किग स्थल पर उपस्थित आया। श्री राजेश कुमार कानि से ट्रेप बॉक्स में लिफाफे में रखी रिश्वत राशि को निकालकर रिश्वत राशि परिवादी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे की दांहिनी जैब में कोई वस्तु नही रखते हुए रखवायी गई। श्री राजेश कुमार कानि के दोनो हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर उसके संचालन की विधि समझाई गयी। परिवादी को रिश्वत राशि आरोपी श्री भगवान सहाय द्वारा ग्रहण करने के बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस्ड कॉल या अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करने की मुनासिब हिदायत दी गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों को भी निर्धारित ईशारा समझाया जाकर परिवादी को कोष कार्यालय प्रतापगढ़ के लिये रवाना कर परिवादी के पीछे–पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता रवाना होकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कोष कार्यालय के आसपास अपनी–अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मूकिम रहे। समय 12.25 पीएम पर परिवादी श्री ऋतुराज सिंह ने जिला कलक्ट्रेट परिसर प्रतापगढ़ में स्थित अतिरिक्त कोषाधिकारी कोष कार्यालय प्रतापगढ कार्यालय कक्ष से बाहर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फैरकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता परिवादी श्री ऋतुराज सिंह के पास पहूंचे एवं परिवादी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि श्री भगवान सहाय मीना उप कोषाधिकारी उनके कार्यालय कक्ष में बैठे हुए है जिनके द्वारा अभी–अभी मुझसे 10,000 रुपये रिश्वत राशि अपने हाथ से ग्रहण कर टेबल की दराज में रख दिये है। परिवादी को हमराह लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री मणीलाल पटेल, श्री रवि सोगरा व ब्यूरो जाप्ता के श्री भगवान सहाय मीना के कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया तो एक टेबल कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री भगवान सहाय मीना कार्यवाहक सहायक निदेशक है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना स्वंय व हमराहियानों का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उनका पूर्ण नाम पता व पदनाम पुछा तो उसने अपना नाम भगवान सहाय मीना पुत्र श्री लालाराम मीना उम्र 32 वर्ष जाति मीना निवासी मकान नम्बर 97 मंगल विहार, जामडोली पुलिस थाना कानोता जयपुर हाल अतिरिक्त कोषाधिकारी प्रतापगढ़ व कार्यवाहक सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग प्रतापगढ होना बताया। आरोपी श्री भगवान सहाय से परिवादी श्री ऋतुराज से अभी–अभी 10,000 रुपये रिश्वत राशि किस बात की ग्रहण की गई है के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि मुझे स्कुटी खरीदनी थी जिसके लिये श्री ऋतुराज सिंह कनिष्ठ सहायक से 10,000 रुपये आज अभी–अभी उधार लिये है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री ऋतुराज सिंह ने बताया कि श्री भगवान सहाय मीना जी झूठ बोल रहे है, मुझसे कभी भी स्कुटी खरीदने के नाम से उधार रुपये नही मांगे है। मेरे कार्यालय के उपस्थिति पंजिका में दिनांक 23.05.2022 को मानवीय भुल से दिनांक 24.05.2022 व 25.05.2022 के कॉलम में मेरे स्वंय के आकस्मिक अवकाश इन्द्राज करने के स्थान पर श्री रुपा डिडोंर पर्यवेक्षक के स्थान पर इन्द्राज हो गया जिस संबध में श्री भगवान सहाय द्वारा कार्यालय के पत्रांक 429 दिनांक 12.07.2022 द्वारा मेरा स्पष्टीकरण चाहा गया। जिस पर मैने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया परन्तु श्री भगवान सहाय द्वारा स्पष्टीकरण नही लेकर टालम–टोल करते हुए मुझे जारी नोटिस का निस्तारण करने के एवज में खर्चापानी के रुप में कार का इश्योरेंस कराने एवं कार के टायर डलवाने के नाम से रिश्वत राशि की मांग की गई और डरा धमकाकर अन्य नोटिस जारी करने हेतु कहा गया। जिस पर दिनांक 19.07.2022 को 21,00 रुपये मेरे सैलेरी बैंक खाता से गुगल–पे ऑनलाईन श्री भगवान सहाय के मोबाईल नम्बर पर किये गये तथा 2400 रुपये नगद लिये और 30,000 रुपये और रिश्वत की मांग की गई। मैने

हाथा–जोड़ी की तो 15,000 रुपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुए थे। दिनांक 25.07.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। इनकी मांग अनुसार ही आज 10,000 रुपये रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण कर टेबल की दाहिंनी साईड की दराज में रखी है। इस पर आरोपी श्री भगवान सहाय मीना ने उधार राशि ही लेना बताया। स्वतंत्र गवाह श्री रवि सोगरा से टेबल की दाहिनी साईड की दराज की तलाशी लिवाई गई तो रिश्वत राशि बरामद नही हुई। जिस पर आरोपी श्री भगवान सहाय मीना को रिश्वत राशि कहा रखी गई है के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने रिश्वत राशि दराज में रखी होना बताकर गुमराह किया। आरोपी को पुनः पुछा गया तो उसने बताया कि श्री ऋतुराज सिंह कनिष्ठ सहायक से राशि 10,000 रुपये लेकर पहले तो टेबल की दांहिनी दराज के द्वितीय खण्ड में रखे थे और ऋतुराज के अभी मेरे कार्यालय कक्ष से बाहर जाने के बाद राशि दराज से निकालकर कार्यालय कक्ष में रखी लौहे की छोटी अलमारी पर पड़ें मेरे स्वंय के बैग के उपर के खण्ड में रखे है। जिस पर गवाह श्री रवि सोगरा से उक्त बैग की तलाशी लिवाई गई तो बैग के उपर के खण्ड में 500–500 रुपये के 20 नोट कुल 10,000 रुपये बरामद हुए। उक्त नोटो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहनों से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहू फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500–500 रुपये के 20 नोट कुल 10000 रुपये बरामद हुए। प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स को मंगवाया जाकर प्रक्रिया अनुसार ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में कार्यालय से पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा तथा दोनो गवाह ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री भगवान सहाय मीना के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री भगवान सहाय के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग भी हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि 10000 रुपयो पर एक कागज की चीट लगाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर सीलचीट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री भगवान सहाय द्वारा रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण कर अपनी टेबल की दाहिंनी साईड की द्वितीय खण्ड में पड़े विभागीय कागजों पर रखी तथा परिवादी के आरोपी के कार्यालय कक्ष से बाहर आने पर आरोपी श्री भगवान सहाय द्वारा रिश्वत राशि दराज से निकालकर उनके कार्यालय कक्ष में रखी लौहे की छोटी अलमारी के उपर रखे उसके स्वंय के बैंग के उपरी खण्ड में रखे थे, जो बरामद हुए है। टेबल की दराज के द्वितीय खण्ड एवं बैग के उपरी खण्ड का धोवन लिया जाना आवश्यक है। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कराया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। श्री राजेश कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स से साफ रुई का टुकड़ा निकलवाया जाकर साफ पानी में भिगोकर बैग के उपरी खण्ड में रखे हुए आरोपी श्री भगवान सहाय मीना का राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर द्वारा जारी विभागीय परिचय पत्र संख्या एनएस/19 वेद्यता तिथी दिनांक 31.12.2022 के साथ रिश्वत राशि बरामद हुई थी। उक्त विभागीय परिचय पत्र व खण्ड के भीतरी भाग के उपर भीगे हुए रुई के टुकड़े को श्री राजेश कुमार कानि. से घुमवाया जाकर रुई के टुकड़े को तैयार सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क बी–1 व बी–2 अंकित कर सीलचीट कर चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। इसी प्रकार एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कराया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। श्री पंकज कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स से साफ रुई का टुकड़ा निकलवाया जाकर साफ पानी में भिगोकर आरोपी श्री भगवान सहाय द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण कर टेबल की दांहिनी दराज के द्वितीय खण्ड के अन्दर विभागीय कागज (जिला प्रतागढ़ में पदस्थापित लोक सेवकों के जीपीएफ/एसआई आहरण प्रार्थना पत्र, कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ के आदेश कमांक 1592–94 दिनांक 22.07.22 की प्रति) के उपर रखी थी। श्री पंकज कुमार कानि से उक्त कागजों के उपर भीगे हुए रुई के टुकड़े को घुमवाया जाकर रुई के टुकड़े को तैयार सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच

की शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क डी–1 व डी–2 अंकित कर सीलचीट कर चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। टेबल की दराज के द्वितीय खण्ड में रखे विभागीय कागजो पर रिश्वत राशि रखी थी उन कागजों पर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रिश्वत राशि काले रंग का बैग (जोकी स्पोंट) के उपरी खण्ड में विभागीय परिचय पत्र के साथ बरामद हुई थी, बैंग के उपरी खण्ड पर व विभागीय परिचय पत्र पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। विभागीय कागजात, विभागीय परिचय पत्र को बैग के अन्दर रखकर बैग को एक कपड़े की थैली में डालकर सीलचीट किया गया। कपडे की थैली पर कागज की चीट लगाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क "बी" अंकित किया गया। आरोपी श्री भगवान सहाय मीना से सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग प्रतापगढ़ के अतिरिक्त कार्यभार संबधित आदेश की प्रति चाही गई तो आरोपी ने अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखी प्रति पेश की। आरोपी के कार्यालय कक्ष की तलाशी ली गई तो कोई संदिग्ध राशि या मूल्यवान दस्तावेज नही बरामद हुए। श्रीमान संयुक्त शासन सचिव वित्त(राजस्व) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश कमांक प.1(11)वित्त/राजस्व/2022 दिनांक 19.01.2022 के द्वारा आरोपी श्री भगवान सहाय मीना को सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग प्रतापगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आरोपी श्री भगवान सहाय से परिवादी श्री ऋतुराज सिंह कनिष्ठ सहायक को जारी नोटिस इत्यादि संबधी रिकोर्ड के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि श्री ऋतुराज सिंह कनिष्ठ सहायक से संबधित रिकोर्ड सहायक निदेशक कार्यालय के संस्थापन शाखा में होना बताया है जो पृथक से प्राप्त किया जायेगा। आरोपी श्री भगवान सहाय मीना के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच–1 व 2, एलएच–1 व 2, बरामद रिश्वत राशि काले रंग के बैग का धोवन मार्क बी–1 व 2, दराज के द्वितीय खण्ड का धोवन मार्क डी–1 व 2, सील्ड शुदा रिश्वत राशि 10,000 रुपये व सील्ड शुदा बेग पैकेट मार्क– बी को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। घटना स्थल जिला कलेक्ट्रेट परिसर प्रतापगढ़ होने से आम लोगो व विभागीय कर्मचारियों की आवाजाही को देखते हुए ब्यूरो टीम व परिवादी की सुरक्षा को देखते हुए अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ पहूंच किया जाना उचित होने से समय 02.15 पीएम पर परिवादी श्री ऋतुराज सिंह व आरोपी श्री भगवान सहाय मीना की निशांदेही पर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर शामील कार्यवाही किया गया। समय 02.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मणीलाल पटेल, श्री रवि सोगरा, आरोपी श्री भगवान सहाय मीना, परिवादी श्री ऋतुराज सिंह व ब्यूरो जाप्ता श्री श्री पंकज कुमार कानि., श्री राजेश कानि., श्री महेश कानि., श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन के जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक के कलेक्ट्रेट परिसर प्रतापगढ़ से ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ के लिये रवाना हुआ। समय 02.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मणीलाल पटेल, श्री रवि सोगरा, आरोपी श्री भगवान सहाय मीना, परिवादी श्री ऋतुराज सिंह व ब्यूरो जाप्ता श्री श्री पंकज कुमार कानि., श्री राजेश कानि., श्री महेश कानि., श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन के जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक के कलेक्ट्रेट परिसर प्रतापगढ़ से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ पहूंचा, जहां पर श्री सुरजमल कानि. उपस्थित मिला। समय 02.45 पीएम पर आरोपी श्री भगवान सहाय मीना निवासी प्लॉट नम्बर 97 मंगल विहार जामडोली जयपुर की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया एवं सरकारी आवास संख्या II/8 सिविल लाईन प्रतापगढ की खाना तलाशी हेतु श्री दयालाल चौहान पुलिस निरीक्षक प्रभारी ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ को अवगत कराया गया। समय 03.00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 27.07.2022 को आरोपी श्री भगवान सहाय मीना व परिवादी श्री ऋतुराज सिंह के बीच हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकोर्ड़ वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को लेपटॉप में लगाकर दर्ज वार्ता को लेपटॉप की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर मे रखकर पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडें की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी के कवर में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी श्री

भगवान सहाय मीना का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। समय 05.30 पीएम पर पूर्व पाबंद शुदा श्री विजय सिंधी सहायक प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन शाखा प्रभारी) कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग प्रतापगढ़ जो परिवादी श्री ऋतुराज सिंह से संबधित स्पष्टीकरण बाबत जारी नोटिस की प्रति व आरोपी श्री भगवान सहाय मीना को सहायक निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार के आदेश की प्रमाणित प्रति व आरोपी का सेवा विवरण बाबत् सूचना लेकर ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ हाजीर आया है। रिकोर्ड का अवलोकन किया गया तो आरोपी श्री भगवान सहाय मीना ने कार्यालय सहायक निदेशक के पत्र कमांक 429 दिनांक 12.07.2022 के द्वारा परिवादी श्री ऋतुराज सिंह को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की प्रति एवं आरोपी श्री भगवान सहाय मीना को सहायक निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार की प्रमाणित प्रति व सेवा विवरण को शामील कार्यवाही किया गया। समय 06.30 पीएम पर आरोपी श्री भगवान सहाय मीना अतिरिक्त कोषाधिकारी कोष कार्यालय प्रतापगढ़ अतिरिक्त कार्यभारी सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग प्रतापगढ़ को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.00 पीएम पर श्री दयालाल चौहान पुलिस निरीक्षक प्रभारी ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ जो आरोपी श्री भगवान सहाय मीना के सरकारी आवास II/8 सिविल लाईन प्रतापगढ़ की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द की जिसे शामील कार्यवाही किया गया। समय 07.15 पीएम पर आरोपी श्री भगवान सहाय मीना अतिरिक्त कोषाधिकारी कोष कार्यालय प्रतापगढ़ हाल कार्यवाहक सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावाधायी निधि विभाग प्रतापगढ़ से पुछताछ की गई तो ट्रेप कार्यवाही के दौरान बताये गये तथ्यों के अलावा नये कोई तथ्य नही बताये गये। समय 09.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मणीलाल पटेल व श्री रवि सोगरा, आरोपी श्री भगवान सहाय मीना व ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज कुमार कानि., श्री राजेश कुमार कानि. श्री महेशचन्द्र कानि., श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक व ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त शुदा रिश्वत राशि 10,000 रुपये तथा आरोपी के दोनो हाथों का धोवन, बरामद रिश्वत राशि बैग का धोवन, टेबल की दराज का धोवन मार्क कमशः आरएच–1 व 2, एलएच–1 व 2, बी–1 व 2, डी–1 व 2, सील्ड शुदा बैग पैकेट, रिश्वत लेनदेन वार्ता की सील्ड शुदा पेनड्राईव व डब सीडी इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ से रवाना होते हुए परिवादी श्री ऋतुराज सिंह को मुनासिब हिदायत के रुखसत किया गया। समय 10.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मणीलाल पटेल व श्री रवि सोगरा, आरोपी श्री भगवान सहाय मीना व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि, श्री पंकज कुमार कानि., श्री महेशचन्द्र कानि., श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक व ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त शुदा रिश्वत राशि 10,000 रुपये तथा आरोपी के दोनो हाथों का धोवन, बरामद रिश्वत राशि बैग का धोवन, टेबल की दराज का धोवन मार्क कमशः आरएच–1 व 2, एलएच–1 व 2, बी–1 व 2, डी–1 व 2, सील्ड शुदा बैग पैकेट, रिश्वत लेनदेन वार्ता की सील्ड शुदा पेनड्राईव व डब सीडी इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। दोनो स्वंतत्र गवाहान श्री मणीलाल पटेल च श्री रवि सोगरा को मुनासिब हिदायत के रुखसत किया गया। समय 10.45 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त शुदा रिश्वत राशि 10,000 रुपये तथा आरोपी के दोनो हाथों का धोवन, बरामद रिश्वत राशि बैग का धोवन, टेबल की दराज का धोवन मार्क कमशः आरएच–1 व 2, एलएच–1 व 2, बी–1 व 2, डी–1 व 2, सील्ड शुदा बैग पैकेट, रिश्वत लेनदेन वार्ता एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की सील्ड शुदा पेनड्राईव व डब सीडीयां इत्यादि श्री राजेश कुमार कानि को सूपुर्द कर मालखान रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। समय 11.00 पीएम पर आरोपी श्री भगवान सहाय मीना का मेडिकल ज्युरिस्ट राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा से स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में जमा कराने पृथक–पृथक तहरिर जारी कर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक व श्री महेशचन्द्र कानि. मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिह को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना किया गया। समय 11.45 पीएम पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री महेशचन्द्र कानि. मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री महेशचन्द्र कानि द्वारा आरोपी की मेडिकल

रिपोर्ट एवं पुलिस थाना कोतवाली में आरोपी को जमा कराने की रसीद मय रोजनामचा रपट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामील कार्यवाही किया गया। प्रकरण में आरोपी श्री भगवान सहाय मीना को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त कर आरोपी श्री भगवान सहाय मीना को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी श्री ऋतुराज सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावाधायी निधि विभाग प्रतापगढ़ को आरोपी श्री भगवान सहाय मीना कार्यवाहक सहायक निदेशक द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक 429 दिनांक 12.07.2022 के द्वारा स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया। आरोपी श्री भगवान सहाय मीना ने परिवादी श्री ऋतुराज सिंह को जारी नोटिस के संबध में प्रस्तुत स्पष्टीकरण नही प्राप्त कर टालम–टोल करते हुए नोटिस का निस्तारण करने के एवज में परिवादी से फोर व्हीलर(कार) का इश्योरेन्स कराने एवं टायर डलवाने के नाम से रिश्वत मांगी गई जिस पर परिवादी के हाथाजोडी करने पर नोटिस फाईल करने एवं सैलेरी नही रोकने के एवज में आरोपी द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग करते हुए दिनांक 19.07.2022 को 21,00 रुपये गुगल–पे से ऑनलाईन प्राप्त किये तथा 24,00 रुपये कुल 45,00 रुपये ग्रहण किये गये। दिनांक 25.07.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री भगवान सहाय मीना द्वारा परिवादी श्री ऋतुराज सिंह से पूर्व में 4500 रुपये रिश्वत के ग्रहण करने बाबत् सहमति देते हुए 10,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री भगवान सहाय मीना को परिवादी से 10,000 रुपये लेते हुये दिनांक 27.07.2022 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री भगवान सहाय मीना के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री भगवान सहाय मीना पुत्र श्री लालाराम मीना उम्र 32 वर्ष जाति मीना निवासी मकान नम्बर 97 मंगल विहार जामडोली पुलिस थाना कानोता जयपुर हाल अतिरिक्त कोषाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा) कोष कार्यालय प्रतापगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जिला प्रतापगढ़ के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवार्गे प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लालाराम मीना, हाल अतिरिक्त कोषाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा) कोष कार्यालय प्रतापगढ़, कार्यवाहक सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 297/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 2601-05 दिनांक 28.7.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. वित्त सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

28.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।